भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 12
दिनांक 11 फरवरी, 2025 के लिए प्रश्न

दुग्ध सं

12 . श्री राजमोहन उ ीथनः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किसानों के बारे में सूचना देने में दुग्ध संघों की पारदर्शिता की निगरानी के लिए मौजूद तंत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) संघ/यूनियन के निर्वाध गठन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए उपलब्ध तकनीकी सहायता प्रणालियों और साथ ही सर्वर डाउन टाइम को न्यूनतम करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) डेयरी सहकारी समितियों का गठन और संचालन संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियमों के तहत किया जाता है तथा वे सहकारी समितियों के पंजीयक को रिपोर्ट करती हैं। दुग्ध संघ, संबंधित प्रणाली (रजिस्टर, एक्सेल फाइल, ईआरपी प्रणाली आदि) के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों के विवरण को सहेजते हैं, जिसके अनुसार किसानों को पंजीकृत किया जाता है, दूध के मूल्य का भुगतान किया जाता है तथा किसानों को अन्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, भारत सरकार राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) के तहत आईसीटी आधारित अवसंरचना जैसे ईआरपी, डेटा प्रसंस्करण आधारित दूध संग्रह इकाई/स्वचालित दूध संग्रह इकाई आदि के लिए सहायता प्रदान करके राज्य सरकार के प्रयासों को संपूरित और अनुपूरित करती है। इससे डेयरी किसानों से संबंधित जानकारी को एकत्रित करने और रिपोर्ट करने में सुविधा होती है। इससे किसानों की जानकारी की रिपोर्टिंग में पारदर्शिता आती है क्योंकि दूध उत्पादकों को आपूर्ति किए गए दूध की मात्रा, वसा और एसएनएफ सामग्री तथा प्राप्त होने वाले भुगतान की तुरंत पावती मिलती है।

****